बस और टाटा हैरियर कार में टक्कर, एक बच्चे की मौत, 36 लोग घायल

यात्रियों ने बताया कि बस चालक वाहन को अत्यधिक तेज गति से चला रहा था

अनियंत्रित बस ने टाटा हैरियर कार को जोरदार टक्कर मारी कि कार का अगला हिस्सा पिचक गया और बस भी क्षतिग्रस्त हो गई।

- भीलवाड़ा से देवली जा रही निजी बस और शाहपुरा से भीलवाड़ा की तरफ से आ रही कार में आमने-सामने टक्कर हो गई
- रायपुर चौराहे के पास सड़क पर गड्ढा आ गया जिसे बचाने के फेर में चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया था

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। शाहपुरा टोल से करीब एक किलोमीटर पहले रायपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर सामने से आ रही टाटा हैरियर कार से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, वहीं कार सवारों सहित 36 लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, निजी बस भीलवाड़ा से देवली की ओर जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि बस चालक वाहन को अत्यधिक तेज गति से चला रहा था। रायपुर चौराहे के पास सड़क पर एक गहरा गड्ढा आ गया, जिसे बचाने के फेर में चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित बस ने सामने से आ रही टाटा हैरियर कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक केबिन में ही फंस गया। इसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद शाहपुरा थाने के सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस पहुंचने में देरी होते देख पुलिस वाहन के चालक कृष्ण गोपाल ने तत्परता दिखाई। उन्होंने अपने ही सरकारी वाहन से करीब 4-5 चक्कर लगाकर घायलों को तुरंत शाहपुरा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की इस मानवीय पहल की प्रत्यक्षदर्शियों ने काफी सराहना की। हादसे में घायल 37 लोगों में से दो कार सवार भी शामिल हैं। शाहपुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

हादसे में गंभीर घायल मासूम कोमल कंवर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में पुष्पा कंवर, शौभाग सिंह, पायल कंवर, रामकुमार, फातमा बैगम, महेंद्र मीणा, नीतू देवी, गोरा बंजारा, भगवत सिंह, गुड्डी कंवर, गोमा बंजारा, रिंका मीणा, कोमल, भैंरू बैरवा (60), अंकित बैरवा (10), तनवीर अहमद, दुर्गा, हितेश बैरवा, चेतन, सुरेश, अनुराधा और पप्पू मोची सहित 36 लोग घायल हुए हैं। इनमें से दो महिलाओं और दो पुरुषों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलैक्टर प्रकाश चंद्र, उपखंड अधिकारी सुनिल कुमार, डिप्टी ओमप्रकाश विश्नोई मौके पर पहुंचे। हादसे में 17 गंभीर घायलों को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। सूचना पर भीड़ एकत्रित हो गई, हादसे के बाद गाड़ी को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया, दोनों तरफ जाम लग गया जिसको खुलवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क हादसे का कारण बनी।

पावटा के ग्राम बुचारा में सड़क पर बीमार तेंदुए का शावक नजर आया

- वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तेंदुए के शावक को नाहरगढ़ भेजा

पावटा, (निसं)। उपखंड पावटा क्षेत्र के ग्राम बुचारा स्थित बिजली ग्रेड के पास मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब करीब एक साल का बीमार तेंदुए का शावक अचानक जंगल के पास आबादी क्षेत्र की सड़क व गेहूं के खेतों में घूमता हुआ नजर आया। शावक बीमार और लड़खड़ाते हुए इधर-उधर भटक रहा था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम क्षेत्रीय वन अधिकारी कोटपुतली सतपाल डिलन, सहायक वन संरक्षक कोटपुतली तरुण प्रकाश, सहायक नाका प्रभारी बुचारा मीर सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी एवं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी।

लोगों की भारी भीड़ को पुलिस प्रशासन द्वारा नियंत्रित करते हुए टीम ने बेहद सतर्कता और पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद विशेषज्ञों ने सटीक निशाना लगाते हुए शावक को ट्रैक्यूलाइज़ किया। जैसे ही शावक बेहोश हुआ, टीम ने तुरंत उसे अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार शुरू किया। मौके पर मौजूद वन्यजीव चिकित्सकों ने जांच में पाया कि शावक गंभीर रूप से बीमार था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल उसे सुरक्षित तरीके से वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ भेज दिया गया है, जहां विशेषज्ञों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन्यजीव दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत सूचना दें और दूरी बनाए रखें। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग की तत्परता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है।

भीलवाड़ा पुलिस ने नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित की

- अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर त्याग करने वाले पिता को पुलिस ने पाबंद किया

भीलवाड़ा, (निसं)। अंतरजातीय विवाह के एक मामले में भीलवाड़ा पुलिस ने न केवल एक नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने वाले प्रयासों पर भी लगाम लगाई है। अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर त्याग करने वाले पिता को पुलिस ने पाबंद करते हुए मृत्युभोज और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार, आमल्दा निवासी आकांक्षा कानावत (27) ने बीती 4 मार्च 2025 को कोटपूतली निवासी ओमप्रकाश गुर्जर (30) के साथ अपनी मर्जी से आर्य समाज, अजमेर में अंतरजातीय विवाह किया था। आकांक्षा करीब एक माह से अपने पीहर आई हुई थी। जब 20 मार्च 2026 को उसका पति उसे लेने पहुंचा तो परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। शक्करगढ़ थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से समझाइश की। युवती ने वीडियोग्राफी के समक्ष बयान दिए कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से पति के साथ जयपुर जाना चाहती है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दंपती को सुरक्षित रवाना किया। इस घटना के बाद युवती के पिता देवेंद्र सिंह कानावत ने शोक संदेश छपवा दिया था। सोशल मीडिया और अखबारों में इस खबर के वायरल होने पर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया। एएसपी राजेश कुमार आर्य और वृताधिकारी रेवडमल मोर्य के निर्देशन में पुलिस ने पिता देवेंद्र सिंह को तलब किया। पूछताछ के दौरान पिता देवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि अंतरजातीय विवाह से सामाजिक छवि खराब होने के डर और आवेश में आकर उन्होंने यह कदम उठाया था। उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया कि वे अब कोई मृत्युभोज या शोक बैठक आयोजित नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संज्ञेय अपराध निवारण हेतु देवेंद्र सिंह (60) के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया है। भीलवाड़ा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है। किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति या दबाव बनाने वाले प्रयासों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में होटल संचालक दिल्ली से गिरफ्तार

- पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद भी आरोपी होटल संचालक ने मुख्य आरोपी को कमरा दिया था
- मामला दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कमरा देने वाला होटल संचालक विदेश फरार हो गया था
- पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए आरोपी होटल संचालक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया था

सीकर, (निसं)। जीणमाता थाना पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। होटल संचालक ने नाबालिग से रेप के लिए होटल में कमरा किराए पर दिया था। आरोपी विदेश चला गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी करवाया। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर आया तो आरोपी होटल संचालक को पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ जीणमाता इलाके की एक होटल में रेप हुआ था। पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद भी आरोपी होटल संचालक ने मुख्य आरोपी को कमरा दे दिया था। मामला दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कमरा देने वाला होटल संचालक विदेश फरार हो गया था। ऐसे में पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए आरोपी होटल संचालक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया। जैसे ही आरोपी विदेश से एयरपोर्ट पर लौटा तो इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राकेश कुमार मीणा का कहना है कि नाबालिग से रेप के लिए कमरा देने वाला होटल संचालक भी पॉक्सो एक्ट का मुजरिम है। जीणमाता थाना पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। होटल संचालक ने नाबालिग से रेप के लिए होटल में कमरा किराए पर दिया था। आरोपी विदेश चला गया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी करवाया। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर आया तो आरोपी होटल संचालक को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पिकअप पलटने दो लोग घायल

नाल, (निसं)। थाना क्षेत्र में मंगलवार को एनएच-11 पर कावनी तिराहे के पास एक पिकअप पलट गई। इस हादसे में चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप पापड़ से लदी हुई थी। पिकअप कोलायत से बीकानेर की ओर आ रही थी। कावनी फांटा के पास अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वाहन का टायर फट गया। इसके बाद पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही नाल थानाधिकारी विकास विश्नोई मौके पर पहुंचे। घायलों की पहचान मधुसूदन पुत्र गणेशाराम कुम्हार और सुरेंद्र पुत्र मधुसूदन, निवासी बंगला नगर, बीकानेर के रूप में हुई है। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

निषिद्ध सामग्री के साथ जेल प्रहरी को पकड़ा

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर केंद्रीय कारागार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार जेल में निषिद्ध सामग्री मिल रही है। कुछ दिनों पहले एक जेल प्रहरी को निषिद्ध सामग्री के साथ पकड़ा गया था। अब एक बार फिर जेल प्रहरी अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करते समय तलाशी में जर्दे की पुड़ियों के साथ पकड़ा गया है। जेल प्रहरी के खिलाफ अब जेल अधीक्षक की तरफ से रातानाड़ा थाने में रिपोर्ट दी गई है। जिसमें जांच आरंभ की गई है।

रातानाड़ा पुलिस ने बताया कि सोमवार को दिन में दो बजे से रात दस बजे के बीच में जेल आरएसी हैड कांस्टेबल नेमीचंद, कांस्टेबल तखतसिंह एवं महिला कांस्टेबल की ड्यूटी तलाशी कक्ष में थी। ड्यूटी पर दो बजे के बाद जेल आरएसी का कांस्टेबल प्रहरी दिनेश खोखर मुख्य गेट पर ड्यूटी के लिए आया था। तब उसकी वहां तलाशी ली गई। उसकी वर्दी के बैल्ट के नीचे अंडरवियर में संदिग्ध लगने पर चैक की गई। अंडरवियर में टेप से चिपकाकर रखी चार जर्दे की पुड़िया मिली।

महिला के पास एमडी ड्रग मिली

जोधपुर, (कासं)। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना क्षेत्र में आई राजीव गांधी कॉलोनी में एक महिला के पास से पुलिस ने एक ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग को जब्त किया है। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण बनाया गया। सीएचबी थाने की एसआई सुलोचना राजीव गांधी कॉलोनी में रहने वाली रामी के घर पर पहुंची थी। तब रामी के पास तलाशी लिए जाने पर 1.33 ग्राम एमडी ड्रग मिली। इस पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण बनाया गया। वह मूल रूप से फलोदी के राणेरी गांव की रहने वाली है। एमडी ड्रग को लेकर जांच जारी है।

गर्मियों में अदालतों का समय बदल जाएगा

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्यभर की अदालतों के समय में गर्मियों के दौरान बदलाव करने का नया शिड्यूल जारी कर दिया है। यह नया समय आगामी 13 अप्रैल से लागू होकर 28 जून तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य समय नए सिरे से शिड्यूल किया गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक उच्च न्यायालय में न्यायालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जिसमें सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक मध्यांतर होगा। वहीं कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें 10:30 से 10:45 बजे तक विश्राम रहेगा। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया है। इनमें सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक मध्यांतर रहेगा।

पेट्रोल पंप के पास चार वाहनों में आग लगी

उदयपुर, (कासं)। शहर में पटेल सर्कल पर मंगलवार अलसुबह एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े चार ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में चार ऑटो रिक्शा और एक कार पूरी तरह जलकर राख हो गए। फायर बिग्रेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा पेट्रोल पंप भी इस आग की चपेट में आ सकता था। मामले में वाहन मालिकों का कहना है कि यह हादसा नहीं है, यह एक साजिश है।

जानकारी के अनुसार पटेल सर्किल से गुजर रहे मुख्य मार्ग पर स्थित भारत पेट्रोल पंप के बाहर चार ऑटो और एक कार खड़ी थी। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे अचानक इन वाहनों में आग लग गई। पहले एक ऑटो में आग लगी है। धीरे-धीरे यह आग चारों ऑटो और कार में भी फैल गई। कुछ ही देर में आग में विकराल रूप धारण कर लिया और पांचों वाहन जलने लगे। अलसुबह हुई इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर निगम से दो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया।

नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने बताया कि दोनों फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। सूरजपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इस दौरान आग की ऊंची-ऊंची लपटों को देखकर लोग डर गए थे। सूचना मिलने पर वाहन मालिक भी मौके पर आए और अपने वाहनों को जलता हुआ देखकर वाहन मालिकों के आंखों से आंसू निकल गए। अधिकांश ऑटो चालकों के ऑटो से ही उनका घर चलता है।

महिला लापता

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के एक गांव में गुरुद्वारा के निकट रह रहे एक व्यक्ति की पत्नी 20 मार्च शाम से लापता है। पीड़ित ने सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। इसकी जांच एएसआई जयविंद्रसिंह को सौंपी गई है।

पीड़ित ने परिवाद में बताया है कि उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती है। वह शुक्रवार शाम पांच बजे बच्चों को यह कहकर गई थी कि एक महिला का फेशियल करने जा रही है। पीड़ित ने शाम को 7 बजे घर आकर फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। पीड़ित ने घर में चेक किया तो साढ़े तीन तोला सोने के गहने तथा 10 हजार रुपए नकदी भी गायब थी। इतना ही नहीं घर के निकट ही मिठाई की दुकान पर काम करने वाला युवक भी गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पीड़ित को उसी पर पत्नी को भगाकर ले जाने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि गुमशुदा महिला की तलाश की जा रही है।

फार्मर रजिस्ट्री कार्य में डीडवाना-कुचामन जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर

जिला कलैक्टर ने राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों को सम्मानित किया।

डीडवाना, (निसं)। फार्मर रजिस्ट्री (डिजिटल किसान डेटाबेस) अभियान के तहत जिले द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने की उपलब्धि पर मंगलवार को डीडवाना स्थित टाउन हॉल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलैक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 57 राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, भू-अभिलेख निरीक्षकों और पटवारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलैक्टर डॉ. खड़गावत ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम ने दिन-रात मेहनत कर तकनीकी बाधाओं के बावजूद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फार्मर रजिस्ट्री कार्य को समय सीमा में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जिले ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत से अधिक पंजीकरण कर राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

इस अवसर पर जिला कलैक्टर ने डीडवाना, छोटी खाटू व नावां सहित 4 तहसीलदार को, 9 जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर को, 7 अन्य विभागों के कार्मिकों को, 9 भू-अभिलेख निरीक्षक एवं 28 पटवारियों को तथा टॉप तीन उपखंड में कुचामन, डीडवाना व नावां को टॉप तीन तहसील में डीडवाना, कुचामन व छोटीखाटू के उपखंड अधिकारियों व तहसीलदार को फार्मर रजिस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सभी कार्मिकों को भविष्य में भी इसी सेवा भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि इसी क्रम में जिला कलैक्टर के निर्देश पर 77 लाख से अधिक की राशि की लागत से जिले के 255 पटवारियों को कार्य करने के लिए टेबलेट एवं कंप्यूटर भी प्रदान किये जायेंगे। इस अवसर पर लाडनूं, परबतसर नावां एवं कुचामन के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

'स्वच्छता' मीडिया में छपने एवं भाषणों में बोलने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए : गुप्ता

के.के. गुप्ता ने नगर निगम उदयपुर के सभागार में स्वच्छता संबंधित विषय पर बैठक लेकर निर्देश दिये।

- स्वच्छता प्रदेश ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता ने नगर निगम उदयपुर में बैठक ली

उदयपुर, (कासं)। स्वच्छ भारत मिशन (शहर) राजस्थान सरकार के स्टेट ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता ने मंगलवार को नगर निगम उदयपुर के सभागार में स्वच्छता संबंधित विषय पर बैठक लेते हुए निर्देश जारी किए गए। बैठक के प्रारंभ में स्थानीय निकाय विभाग (क्षेत्रीय) उप निदेशक विनोद कुमार ने ब्रांड एंबेसडर गुप्ता का स्वागत किया।

केके गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुझे तीसरी बार स्वच्छ राजस्थान बनाने की कमान सौंपी है। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल निकायों के सर्वेक्षण तक के लिए नहीं है, बल्कि यह 365 दिन चलने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में लिया था और इस अभियान से जुड़े हुए प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी सहित आम जनता का दायित्व है कि इसे धरातल पर लागू करने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह भी विजन है कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक हमारा भारत देश विकसित और विश्व गुरु देश बनेगा, लेकिन इसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे लोगों ने समझा और महसूस किया है।

केके गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता मीडिया में छपने एवं भाषणों में बोलने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, स्वच्छता वह है जिसमें गन्दगी आंखों से नजर नहीं आये, प्लास्टिक की थैलियां खुले में नजर नहीं आये, सड़कों पर गाय घूमती नजर नहीं आये, कचरा यार्डों में आग न लगे, बगीचे साफ सूथरे हो, बच्चों के लिए झूले एवं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा कुत्ते बगीचों में घूमते नजर न आए, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय बिल्कुल साफ हो तथा हर व्यक्ति की जुबान पर स्वच्छता के चर्चे हो, "वाह कितना साफ शहर है।"

बैठक में नगर निगम उदयपुर के आयुक्त, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी सहित रुडीप प्रोजेक्ट, जेजेएम प्रोजेक्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग, रोडवेज विभाग, देवस्थान विभाग सहित समस्त जिला व ब्लॉक स्वच्छता कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।

गोल्ड लोन के नाम पर 10.25 लाख की ठगी, मामला दर्ज

फाइनेंस कंपनी से रकम ट्रांसफर कर आरोपी सोना लेकर फरार हो गये

- पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है

हनुमानगढ़, (निसं)। जिले के पीलीबंगा कस्बे में गोल्ड लोन के नाम पर 10.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक निजी फाइनेंस कंपनी की शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अनूपगढ़ निवासी 2 नामजद आरोपियों सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पीलीबंगा स्थित पूनावाला फिन कॉर्प लिमिटेड (गोल्ड लोन शाखा) की ब्रांच मैनेजर सुमन ने पुलिस को बताया कि 13 मार्च को सरूप सिंह और सोनू सिंह तीन अज्ञात महिलाओं के साथ शाखा में आए थे। उस दिन सोनू सिंह ने सोने के आभूषण गिरवी रखकर लगभग 2 लाख 5 हजार रुपये का गोल्ड लोन लिया था। इसके बाद सरूप सिंह ने अपने पहले से चल रहे गोल्ड लोन को ट्रांसफर कराने की बात कही। उसने बताया कि उसका लोन मुथूट गोल्ड शाखा हनुमानगढ़ में चल रहा है और ब्याज दर अधिक होने के कारण वह इसे पूनावाला फिन कॉर्प में ट्रांसफर करवाना चाहता है। कंपनी की शाखा ने लोन ट्रांसफर के लिए 16 मार्च को सरूप सिंह के खाते में 10 लाख 25 हजार रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए। आरोप है कि सरूप सिंह ने इस राशि में से 10 लाख 23 हजार 500 रुपए मुथूट गोल्ड लोन के खाते में जमा कर अपना पुराना लोन बंद करवा लिया और वहां से अपना सोना वापस ले लिया। इसके बाद आरोपी पूनावाला फिन कॉर्प लिमिटेड की शाखा में सोना जमा करवाने की बजाय बहाने बनाता रहा। 17 मार्च को सरूप सिंह अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। शाखा प्रबंधक सुमन ने अपने स्तर पर पड़ताल की तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। आरोप है कि सरूप सिंह और सोनू सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी से राशि ट्रांसफर करवाई और सोना लेकर गायब हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।